भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2218

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

शव परीक्षण में हेर-फेर

†2218. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के समन्वय से शव परीक्षण रिपोर्ट में हेर-फेर या छेड़छाड़ को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं, और देश में मानक पोस्ट-मॉर्टम नयाचार और डिजिटल रिकॉर्ड क्या हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पोस्ट-मॉर्टम के दौरान डॉक्टरों और मुर्दाघर के कर्मचारियों को टीबी, एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों से बचाने के लिए सर्टिफाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) का प्रयोग अनिवार्य किया है, साथ ही, क्या नियमित स्वास्थ्य जाँच और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में आधुनिक मुर्दाघर, वेंटिलेशन और बायो-सेफ्टी प्रणाली, आधुनिक न्यायिक उपकरण और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करने सहित पोस्ट-मॉर्टम अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, अत: शव परीक्षण रिपोर्ट में हेर-फेर या छेड़छाड़ के मामलों को हल करना और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ मानक पोस्ट-मॉर्टम प्रोटोकॉल उपलब्ध कराना जैसी समस्याओं से निपटने की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

तथापि, भारत सरकार ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया और सरकारी (सशस्त्र बल संबंधित स्थापन को छोड़कर) के साथ-साथ चिकित्सा की मान्यता प्राप्त प्रणालियों से संबंधित निजी नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012 यथासंशोधित 2018 और 2020 (सीई नियमावली) को

अधिसूचित किया। सीई अधिनियम के अनुसार, नैदानिक स्थापनों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए न्यूनतम मानकों की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शवगृह वाले प्रत्येक नैदानिक स्थापन को शवगृह के लिए तय न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा। मॉर्चरी के लिए इन न्यूनतम मानकों को 'राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद' ने अनुमोदन किया है। सीई अधिनियम को 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (12 राज्यों, अर्थात, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और 7 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) द्वारा अपनाया गया है।

'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीई अधिनियम के प्रावधानों को लागू/ कार्यान्वित करने के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं। इस अधिनियम में ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को अधिकार दिया है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में शास्ति लगाने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का भी प्रावधान है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को नहीं अपनाया और लागू नहीं किया है, वहां के नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन संबंधित राज्य के अधिनियमों के तहत किया जाता है।
